

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक २५.11.२०19

आदेश


'परावर्तित बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिंदु संख्या-183.0.0 के संबंध में, राज्य के अधिवक्ताओं द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के समक्ष उठाये गये मुद्दों का परीक्षण करने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन, किया जाता है:-

1. श्री शांति कुमार धारीवाल,  
मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. श्री लालचन्द कटारिया,  
मंत्री, कृषि विभाग
3. श्री रघु शर्मा,  
मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. श्री हरीश चौधरी,  
मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग
5. डा. सुभाष गर्ग,  
राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगी।


उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(भवानी सिंह देथा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
9. सचिव, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर।
10. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

  
(कैलाश चन्द गुप्ता)  
व० शासन उप सचिव